

कार्यालय—ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी, ज़िला न्यायालय धमतरी (छ0ग0)

District Legal Services Authority, Dhamtari, District court Dhamtari (C.G.)

e-mail dlsa.dhamtari@gmail.com Phone 07722-232056

:: आदेश ::

क्र. / 07 /LADCS /2024


धमतरी दिनांक 10.05.2024

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के अंतर्गत स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम धमतरी के कार्यालय हेतु स्टॉफ के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/LADCS-23/2024 दिनांक 03.05.2024 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि तक के लिए, पूर्णतय संविदात्मक नियुक्ति किये जाने हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) की राशि
1	डॉली साहू पिता/पति श्री प्रहलाद कुमार साहू पता- सुभाष नगर बड़े शिव मंदिर के पास जानकी निवास कसारीडीह दुर्ग छ.ग.	कार्यालय सहायक/क्लर्क	15000 /-प्रतिमाह
2	डॉली साहू पिता/पति श्री प्रहलाद कुमार साहू पता- सुभाष नगर बड़े शिव मंदिर के पास जानकी निवास कसारीडीह दुर्ग छ.ग.	रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)	12000 /-प्रतिमाह
3	धनुर्धारी पिता श्री खेदुराम पता- ग्राम नवागांव पो. धौराभाठा तह. व थाना मगरलोड जिला धमतरी छ.ग.	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट)	9000 /-प्रतिमाह

नियुक्ति की शर्त :-उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

- चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न हैं, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर



असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

2. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
3. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त किया जावेगा।
4. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी की नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल/कार्यवधि नालसा के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2025 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।
5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019-नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगे, यदि कार्य, संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. L-27/2022-NALSA(Part File)/4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी



दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार को दावा नहीं करेगा। उपरोक्त संविदा नियुक्ति में प्राप्त एकमुश्त संविदा भुगतान, मानदेय के रूप में है, या रिटेनरशिप के आधार पर है, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।

(Signature)
अध्यक्ष, 10/5/24

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्र. / 761 / LADCS / 2024

धमतरी दिनांक 10.05.2024

प्रतिलिपि :-

01. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर ज्ञापन क्र. 1328 दिनांक 03.05.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौंसिल धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. स्थापना लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. डॉली साहू पिता/पति श्री प्रहलाद कुमार साहू पता- सुभाष नगर बड़े शिव मंदिर के पास जानकी निवास कसारीडीह दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
07. डॉली साहू पिता/पति श्री प्रहलाद कुमार साहू ता- सुभाष नगर बड़े शिव मंदिर के पास जानकी निवास कसारीडीह दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
08. धनुर्धारी पिता श्री खेदुराम पता- ग्राम नवागांव पो. धौराभाठा तह. व थाना मगरलोड जिला धमतरी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(Signature)
10.05.2024
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-धमतरी (छ.ग.)